संख्या - 010/वी.जी.एल/008
केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लाक-ए,
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए, नई दिल्ली-110023
दिनांक: 14 मार्च, 2011

परिपत्र सं0 06/03/11

विषय: भारत सरकार के सचिवों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के मुख्य कार्यकारियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के अध्यक्ष-प्रबंधक निदेशकों के विरूद्ध शिकायतें।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14.01.2010/08.03.2010 के कार्यालय ज्ञापन सं0 104/100/2009-एवीडी-1 तथा लोक उद्यम विभाग के दिनांक 11.03.2010/12.04.2010 के कार्यालय ज्ञापन सं0 15(1)/2010-डीपीई(जीएम) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके द्वारा भारत सरकार के सचिवों तथा सार्वजनिक उद्यमों के मुख्य कार्यकारियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के अध्यक्ष-प्रबंधक निदेशकों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए क्रमश: मंत्रिमंडल सचिव तथा मंत्रिमंडल सचिवालय में सचिव (समन्वय) की अध्यक्षता में समूहों का गठन किया गया था । इस संबंध में, केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने दिनांक 27.07.2010 के परिपत्र सं0 29/07/10 द्वारा उपर्युक्त वर्ग के अधिकारियों के संबंध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग में प्राप्त तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारियों को भेजी गई शिकायतों पर कार्रवाई करने के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया था ।

2. मंत्रिमंडल सचिवालय, केन्द्रीय सतर्कता आयोग के ध्यान में लाया है कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी उपर्युक्त स्पष्टीकरणों के बावजूद, कुछ मंत्रालय/विभाग जो उचित कार्रवाई करने के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग से शिकायतें प्राप्त करते हैं, अपने स्तर पर आगे आवश्यक कार्रवाई करने के स्थान पर इन शिकायतों को सचिवों के समूह अथवा अधिकारियों के समूह को विचार करने के लिए भेज देते हैं । अत:, मंत्रिमंडल सचिवालय ने कहा है कि इस संबंध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा मंत्रालयों/विभागों को अनुदेश जारी किए जाएं ।

3. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, आयोग भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को बताना चाहता है कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 8(1) (2003 का 45) के अंतर्गत केन्द्रीय सतर्कता आयोग को उपर्युक्त धारा की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट पदाधिकारियों के ऐसे प्रवर्ग से संबंधित किसी पदधारी के विरूद्ध किसी परिवाद, जिसमें यह अभिकथन किया गया है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन अपराध किया गया है, जांच करने या जांच अथवा अन्वेषण करवाने का अधिकार प्राप्त है । पदाधिकारियों के निर्धारित प्रवर्ग में संघ के मामलों के संबंध में कार्यरत अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य और केन्द्रीय सरकार के समूह 'क' अधिकारी आते हैं जिसमें भारत सरकार के सचिव शामिल हैं । इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा (8) की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) के अंतर्गत कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिनांक 18.03.2004 तथा 12.09.2007 की अधिसूचनाओं में सार्वजनिक उपक्रमों/बैंकों आदि में अधिकारियों का वर्ग/स्तर निर्धारित किया गया है जिसमें सार्वजनिक उद्यमों

के मुख्य कार्यकारी तथा कार्यात्मक निदेशक तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के अध्यक्ष-प्रबंधक निदेशक तथा कार्यात्मक निदेशक शामिल हैं ।

4. अत:, आयोग यह स्पष्ट करता है कि आयोग द्वारा उपर्युक्त वर्ग के अधिकारियों के विरूद्ध मंत्रालयों/विभागों को भेजी गई सभी शिकायतों पर कार्रवाई की जानी है/जांच की जानी है तथा संबंधित प्राधिकारियों द्वारा, जिनको आयोग द्वारा शिकायतें भेजी गई हैं, आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है तथा ऐसी शिकायतों को विचार किए जाने के लिए सचिवों के समूह अथवा अधिकारियों के समूह को नहीं भेजा जाना चाहिए । भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग इस संबंध में अनुपालन सुनिश्चित करें ।

हस्ता0/-
(जे. विनोद कुमार)
विशेष कार्य अधिकारी

सेवा में

भारत सरकार के सचिव,
सभी मंत्रालय/विभाग

प्रतिलिपि:

1. अपर सचिव (एस तथा वी), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ।
2. संयुक्त सचिव (वी), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ।
3. मंत्रिमंडल सचिवालय (श्री के.वी.एस. राव, निदेशक) ।
4. वित्तीय सेवा विभाग ।
5. लोक उद्यम विभाग ।
6. सभी मंत्रालयों/विभागों के मुख्य सतर्कता अधिकारी ।